120

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

R-1635-II/13

श्री राजेश जैन

9-4-13

न्यायालय सम्मानीय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म०प्र०

(1) श्री विजय कुमार जैन वल्द स्व० श्री ताराचंद जैन
निवासी- मोतीनगर वार्ड सागर

(2) श्रीमति सुधा जैन पत्नि स्व० श्री प्रदीप कुमार सराफ पुत्री स्व० श्री ताराचंद जैन , निवासी- ग्राम खिमलासा तहसील बुरई जिला सागर --- पुनरीक्षणकर्तागण

।। विरुद्ध ।।

(1) जगदीश वल्द सीताराम कुर्मी
(2) अवधरानी बेवा सीताराम कुर्मी
दोनो निवासी- ग्राम पाटन तहसील व जिला सागर

--- रेस्पाडेन्ट

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू- राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्तागण सम्मानीय न्यायालय के समक्ष अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय सागर के अपील राजस्व प्रकरण क्रमांक 106-अ/6-अ/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 30-3-2013 से परिवेदित होकर निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत कर प्रार्थना करते है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :– निगरानी–1635–दो/2013 जिला–सागर

श्री विजय कुमार जैन व अन्य विरूद्ध जगदीश कुर्मी व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सागर, जिला–सागर के अपील प्रकरण क्रमांक 106/अ–6–अ/2008–2009 में पारित आदेश दिनांक 30–03–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 30–10–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	